न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/74/2025	2025/326	22.08.2025	20.04.2026

1. बाबू सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी बुर्जा का बास, ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

—प्रार्थी

बनाम

1. बचन सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह,
2. किशन सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह,
3. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व० श्री प्रताप सिंह,
4. जगदीश सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह,
5. धारा सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह,
6. नीरज पुत्र श्री गोपाल सिंह,
7. प्रेम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह,
8. पिंकी बाई पुत्री श्री पूरण सिंह,
9. बच्चू सिंह पुत्र बहादुर सिंह,
10. बृजराज सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह,
11. बाबू सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, स्वकार
12. मंजू देवी पत्नी स्व० श्री गोपाल सिंह,
13. रामसिंह पुत्र बहादुर सिंह,
14. शिवराज पुत्र प्रहलाद
15. सुमन पुत्री गोपाल सिंह, नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता मन्जू देवी प्रतिवादी संख्या 12
16. हेमलता पुत्री गोपाल सिंह, नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता मन्जू देवी प्रतिवादी संख्या 12

    निवासियान ग्राम बुर्जा का बास, ढाकपुरी, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)
17. तहसीलदार साहब, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज०
18. उप पंजीयक महोदय कम तहसीलदार तहसील मालाखेडा, जिला अलवर

अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01— श्री ओमप्रकाश यादव —वकील प्रार्थी
02— श्री मुकेश यादव —वकील अप्रार्थी सं० 1ला.16

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के प्रकरण बउनवान बाबू सिंह वादी बनाम बचन सिंह वगैरा मुकदमा सं. 2/30/2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर में विचाराधीन था जिसमें विगत तारीख पेशी 20—08—2025 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान बाबू सिंह वादी बनाम बचन सिंह वगैरा प्रतिवादीगण मुकदमा संख्या 2/30/2024

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा, (अलवर) में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य पत्रावलियों में जैसा सामान्य व्यवहार किया जाता है इस पत्रावली के साथ नहीं किया जा रहा है। अन्य सभी केसो मे सामान्य तरीके से तारीख लगाई जाती है जबकि इस मुकदमें में 10–15 दिन की तारीख लगाई जाती है। इस मुकदमें में 10–15 दिन से ज्यादा की तारीख नहीं दी जाती है तथा पीठासीन अधिकारी बार बार शीघ्र निपटाने में रहते है। प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी है कि उन्होनें पीठासीन अधिकारी से अपना बेजा मेल रसूख मिला लिया है वः प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण उक्तः मुकदमे में वादी/प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय कराकर रहेंगे। जिससे मिन प्रार्थी वादी को उक्त प्रकरण में निष्पक्ष निर्णय की कोई उम्मीद नहीं है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए यह दिखाना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। पीठासीन अधिकारी इस. प्रकरण में दीगर पक्षकारान. के वकील को नहीं बुलाते महज प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के. वकील को ही बुलाते है। पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के कहे अनुसार तारीखे नियत करते रहते हैं। पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण का बेजा पक्ष ले रहे है व मुकदमें में नजदीक नजदीक की तारीखे लगा रहे है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बअनुवान मुकदमा बाबू सिंह वादी बनाम बचन सिंह वगैरा प्रतिवादीगण राजस्व वाद पेशी 20–08–2025 मुकदमा संख्या 2/30/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर) से तलब किया जाकर अन्य अदालत में मुंतकिल किया जाये व पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जावे कि इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही न करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन झूठे व गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष एवं विधिअनुसार सुनवाई न्यायालय की जा रही है। पीठासीन पर लगाये गये आरोप झूठे एवं निराधार है। अतः प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि इस न्यायालय में उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं की धारा 212 का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से प्रकरण में छोटी तारीख पेशी लगाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियत से पेश किया गया है। उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से दिगर न्यायालय में मुन्तकिल के आदेश फरमावें तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)